KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

शोषण के विरुद्ध अधिकार - (अनु. 23 -24)

Right against exploitation - (Art. 23-24)

① ②

अनु. 23 - मानव दुर्व्यापार एवं बलात श्रम के विरुद्ध अधिकार

Right against human trafficking and forced labor

✓मानव दुर्व्यापार- मानव को खरीदना और बेचना , मानव के अंगो की तस्करी करना , महिला को खरीदना और बेचना।

Human trafficking- buying and selling of human beings, trafficking of human organs, buying and selling of women.

बलात श्रम - इच्छा विरुद्ध कार्य करवाना , बेगार करवाना , बंधुवा मजदूरी करवाना।

Forced labor - forced to work against one's will, forced labor, bonded labour.

अनु. 24 - बच्चों से खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करवाया जायेगा।

Art. 24 - Children will not be made to work in dangerous factories.

→ 14 वर्ष से कम है।

२५, २६, २७, २८

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 -28)

Right to religious freedom (Articles 25-28)

जैसे- सिक्खों के 5- ककार
↳ केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा

अनु. 25 - व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार –
Right to personal religious freedom -

→ धर्म में बदलाव

धर्मावतरण के आधार पर किसी भी धर्म को अपना सकते है और अबाध रूप से मान सकते है। On the basis of religious conversion, one can adopt any religion and practice it freely.

अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते है। You can propagate your religion.

अनु. 26 - सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता - Collective religious freedom –

अपने धर्म से सम्बंधित कार्य प्रयोजन कर सकते है। धर्म के प्रचार हेतु संस्था का गठन कर सकते हैं। You can do work related to your religion. An organization can be formed to propagate religion.

अनु. 27 - किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई भी कर (TAX) लगाया जाता है, तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं है।

If any tax is imposed to promote any religion, then it is not obliged to pay the tax.

→ तिर्थयात्रा कर, हज यात्रा कर

सरकारी विद्यालय

अनु. 28 - शासकीय विदयालयों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जायेगा, यदि दिया भी जाता है तो ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है।

ART. 28 - No religious education will be given in government schools, even if given, there is no obligation to accept it.

धर्म / भाषा

अनुच्छेद 29, → अल्पसंख्यक, शिक्षा, संस्कृति, लिपि संरक्षण का अधिकार -

(1) भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति, अल्पसंख्यक है, को उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।

Any class of citizens inhabiting the territory of India or any part thereof and having a minority having its own distinct language, script or culture, shall have the right to preserve the same.

मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिक्ख

(2) किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा।

No citizen shall be refused admission to any educational institution maintained by the State or receiving aid from State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

अनुच्छेद 30, Article 30, → अल्पसंख्यक का अधिकार है।

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।

All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

(2) राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

The State, while granting aid to educational institutions, shall not discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

अनुच्छेद 31, Article 31, — ४४वा CAA-1978

४४वे संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार से विधिक अधिकार कर दिया गया है। यह अब अनुच्छेद 300A में है। By the 44th Constitutional Amendment, it has been converted from a fundamental right to a legal right. It is now in Article 300A.

(1) कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

(1) No person shall be deprived of his property without authority of law.

(2) कोई भी संपत्ति, चल या अचल, जिसमें किसी औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामित्व वाली किसी भी कंपनी का कोई हित शामिल है, ऐसे कब्जे या ऐसे अधिग्रहण को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कब्जा या अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जब तक कि कानून कब्जे में ली गई या अर्जित की गई संपत्ति के लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं करता है और या तो मुआवजे की राशि तय नहीं करता है।

(3) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसा कानून, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होने पर, उनकी सहमति प्राप्त न कर ले।

No law made by the Legislature of a State shall have effect unless such law, being reserved for the consideration of the President, receives the assent of him.

अनुच्छेद 32 – Article 32

→ संवैधानिक उपचारों का अधिकार :- B.R. अम्बेडकर
↳ आत्मा

प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे राहत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

gives every person the right to approach the Supreme Court to enforce his fundamental rights. This means that if someone feels that their fundamental rights have been violated, they can directly approach the Supreme Court for relief.

अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है।

इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकेगा – Under this article, the Supreme Court will be able to issue 5 types of writs

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण Habeas Corpus → सशरीर न्यायालय मे उपस्थित नही करना।
   → व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन।
2. परमादेश mandamus → हम आदेश देते है, सरकारी कर्मचारी पर जारी होगा।
3. अधिकार पृक्षा Quo Warranto → अधिकार का पुछा जाना, यह सरकारी और निजि दोनो व्यक्ति पर जारी होगा।
4. प्रतिषेध Prohibition → रोक लगाना / मना करना.
5. उत्प्रेषण Certiorari → मंगा लेना.

अनुच्छेद 33, Article 33

सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मूल अधिकार समाप्त या सीमित हो सकते हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया उपकरण और समकक्ष बल शामिल हो सकते हैं।

Fundamental rights of members of the armed forces may be abolished or limited. This may include paramilitary forces, police forces, intelligence apparatus and equivalent forces.

अनुच्छेद 34 – Article 34

सेना विधि लागू होते ही मूल अधिकार समाप्त हो जायेगा। The fundamental rights will be abolished as soon as the martial law comes into force.

1. मार्शल लॉ martial law
2. अफस्पा कानून AFSPA

यह अनुच्छेद 13 के विपरीत है। This is contrary to Article 13.

अनुच्छेद 35 (Article 35)

मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। संसद उन कृत्यों के लिए सजा निर्धारित कर सकती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया गया है।

Only the Parliament has the right to make laws to give effect to the fundamental rights. Parliament can determine punishment for acts which are declared offenses under fundamental rights.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING